POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 08.04.2025

1.थाना इकोटेक-प्रथम पुलिस द्वारा उबर एप्लीकेशन पर फर्जी आधार कार्ड एवं ड्राईविंग लाईसेन्स एडिट कर खुद ही ड्राईवर व राईडर बनकर राईड बुक कर कम्पनी से पैमेन्ट लेकर आईडी ब्लाक करके कम्पनी को नुकसान पहुचाने वाले दो शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से फर्जी आधार कार्ड की 500 छाया प्रति, 21 मोबाइल फोन, एक बैग, एक प्रिंटर व एक कार बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **08.04.2025** को **थाना ईकोटेक-प्रथम** पुलिस द्वारा लोकल इन्टेलिजेन्टस की सहायता से फर्जी आधार कार्ड एवं ड्राईविंग लाईसेन्स एडिट कर खुद ही ड्राईवर व राईडर बनकर राईड बुक कर कम्पनी से पैमेन्ट लेकर आईडी ब्लाक करके कम्पनी को नुकसान पहुचाने वाले दो शातिर अभियुक्त 1.मौ0 उमेर पुत्र नजमुद्दीन 2.मुजफ्फर जमाल पुत्र जाकिर जमाल को घरबरा अण्डरपास के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से फर्जी आधार कार्ड की 500 छाया प्रति, 21 मोबाइल फोन,एक पिटठू बैग (सामान रखने के लिए), एक छोटा प्रिंटर व एक कार हुन्डई आई-10 रंग रजि नं0 डीएल 4 सी.ए.पी 9038 बरामद हुए है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके द्वारा कई मोबाइलों के माध्यम से उबर एप्लीकेशन पर ड्राईवर की आईडी बनायी जाती है। यह लोग एक ही आधार कार्ड व ड्राईवर लाईसेंस को ऑनलाइन ऐप की मदद से एडिट करके कई फर्जी आधार कार्ड व ड्राईवर लाइसेंस बनाकर फर्जी आधार कार्ड व ड्राइविंग लाइसेन्स को ऊबर ऐप पर अपलोड कर देते है। आधार कार्ड व ड्राइविंग लाइसेन्स पर गूगल लेंस की मदद से फोटो बदल दी जाती थी। आईडी तैयार होने के बाद इनके द्वारा पहले 8-10 छोटी-छोटी राइड पूर्ण की जाती है जिसके बाद ये लोग उबर के भरोसेमन्द बन जाते है। कम्पनी द्वारा राइडर को लोन के तौर पर कुछ धनराशि दी जाती है। उसके बाद एक लम्बी राइड रिजर्व/प्री बुकिंग राइड पहले से ही बुक कर देते है। इसके बाद ओटीपी लेकर उबर ड्राईवर वाली आईडी मे डालकर बिना यात्रा किए 20-30 किमी0 यात्रा करके कम्पनी से भुगतान ले लिया जाता है। उबर कम्पनी के द्वारा पकडे जाने के बाद वह आईडी ब्लाक हो जाती है। यह लोग फिर से नई आईडी बनाकर पुनः अपराध कारित करते है।

अभियुक्त का विवरण--

1- मौ0 उमेर पुत्र नजमुद्दीन निवासी सुन्दर नगरी एल ब्लाक एमसीडी फ्लैट थाना नंद नगरी दिल्ली उम्र-26 वर्ष।
2- मुजफ्फर जमाल पुत्र जाकिर जमाल निवासी विजय पार्क मोजपुर, थाना भजनपुरा, दिल्ली उम्र-27 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण—

मु0अ0सं0- 45/2025 धारा 338/336(3) बीएनएस थाना इकोटेक-प्रथम, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1- फर्जी आधार कार्ड की 500 छाया प्रति
2- 21 मोबाइल फोन
3- एक पिट्ठू बैग (सामान रखने के लिए)
4- एक छोटा प्रिंटर
5- एक कार हुन्डई आई-10 रंग रजि नं0 डीएल 4 सी.ए.पी 9038

2. थाना दादरी पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **08.04.2025** को थाना दादरी पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये अवैध शस्त्र के साथ 01 अभियुक्त रिंकू कश्यप पुत्र विजय पाल उम्र 30 वर्ष को चिटहैरा नहर पर दादरी बाईपास फ्लाईओवर के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

अभियुक्त का विवरण--

रिंकू कश्यप पुत्र विजय पाल निवासी ग्राम फूले नंगला थाना खरखोंदा जनपद मेरठ हालपता महेंद्र डेरी के सामने तहसील के पास कस्बा व थाना दादरी गौतमबुद्धनगर उम्र 30 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0-0179/2025 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना दादरी कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

01 तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर